दिनांक–24/09/25 **को विभाग अंतर्गत Empanelment for Manufacturers of Water Treatment unit (WTU) के लिए मुख्यालय स्तर पर आमंत्रित EOI के विरूद्ध प्राप्त दस्तावेजों की समीक्षोपरांत विभिन्न फर्मों के Empanelment पर निर्णय हेतु "विभागीय निविदा समिति" की बैठक की कार्यवाही:–**

उपस्थिति–

श्री पंकज कुमार	–	प्रधान सचिव
श्री नित्यानन्द प्रसाद	–	अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)
श्री अभय कुमार सिंह	–	मुख्य अभियंता (रूपांकण) सह अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)
श्री दयाशंकर प्रसाद	–	मुख्य अभियंता, (दक्षिण बिहार)
श्री प्रद्युम्न शर्मा	–	मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर
श्री प्रसुन्न कुमार	–	मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर
श्री विजय कुमार	–	मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ
श्री राम प्रवेश यादव	–	आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषयः– विभाग अंतर्गत Empanelment for Manufacturers of Water Treatment unit (WTU) के लिए मुख्यालय स्तर पर आमंत्रित EOI के विरूद्ध प्राप्त दस्तावेजों की समीक्षोपरांत विभिन्न फर्मों के Empanelment पर निर्णय।

राज्य के गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में छुटे हुए परिवारों के घरों में पेयजलापूर्ति हेतु क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न पेयजलापूर्ति योजनाओं में लगाये जाने वाले **Water Treatment Unit (WTU)** से संबंधित **Manufacturers** के **Empanelment** हेतु विभागीय "तकनीकी स्क्रूटनी समिति" के मंतव्य/ अनुशंसा के आलोक में दिनांक–17.02.2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही में 16 अदद् फर्मों को Category 'A' में शामिल करते हुए Empanel करने का तथा 2 अदद फर्मों Jal Intruments, Indore एवं Hi-Tech Water Solutions Pvt. Ltd. Surat को Category 'B' में शामिल करते हुए उनके द्वारा समर्पित कागजातों के सत्यापन/विस्तृत जाँच हेतु निर्णय लिया गया था।

पुनः दिनांक–11.04.2025 को तकनीकी स्क्रुटनी समिति के बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंसा के आलोक में Jal Intruments, 311/6 Tejpur Gabadi, Indore, Pincode - 452012 तथा Hi-Tech Water Solutions Pvt. Ltd. M-11A, Someshwar Square, Vesu

Char Rasta, Vesu, Surat, Gujarat – 395007 को आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं आयरन हेतु Category –'A' में Empanel करने का निर्णय लिया जाता है।

इसके साथ ही Empanelled फर्म तथा विभागीय पदाधिकारियों हेतु निम्न बिन्दुओं में अंकित शर्त्तों का अनुपालन आवश्यक होगा।

1. WTU में Post chlorination यूनिट का उपयोग करने वाले तथा vessels में स्वचालित मल्टी पोर्ट वाल्व (MPV) लगाने वाले फर्मों को प्राथमिकता दी जायेगी। संबंधित पेयजलापूर्ति योजनाओं में क्लोरिनेटर का भुगतान संवेदकों को अलग से नहीं किया जायेगा।
2. Empanelment के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक होगा कि WTU से संबंधित License/certification हेतु विभागीय EOI Document में अंकित प्रावधान के अनुसार निर्धारित संस्थानों में से किसी के द्वारा निर्गत WTU संबंधित प्रमाण पत्र Empanelment के पूर्व अद्यतन हो।
3. Empanelled फर्मों द्वारा WTU के आपूर्ति/अधिष्ठापन से पूर्व EOI Document में निहित प्रावधानों के अनुरूप WTU के अवयवों, तथा विभिन्न फर्मों द्वारा उपलबध कराये गये License/certification/Design/Document आदि के अनुरूप तकनीक/मीडिया आदि की जाँच क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य होगा।

24/4/25 (राम प्रवेश यादव) आंतरिक वित्तीय सलाहकार	24.4.2025. (विजय कुमार) मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ	24.4.25 (प्रसुन्न कुमार) मुख्य अभियंता, भागलपुर ~~प्रक्षेत्र, भागलपुर~~	24/4/25 (प्रद्युम्न शर्मा) मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर
24/4/25 (दया शंकर प्रसाद) मुख्य अभियंता (दक्षिणी बिहार)	24/04/2025 (अभय कुमार सिंह) मुख्य अभियंता (रूपांकण) सह अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)	24/4/25 (नित्यानन्द प्रसाद) अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)	24/04/2025 (पंकज कुमार) प्रधान सचिव